बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः– 04/7/2025

संख्याः– 4प/स०–10–10/2025/8370/प०रा०, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम–6, 2006) की धारा–146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्मित बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011 के नियम–13 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर बिहार राज्य सरकार बिहार ग्राम पंचायत सचिवों के अंतर–जिला स्थानांतरण/पदस्थापन की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु निम्नांकित विनियमावली बनाती हैः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(i) यह विनियमावली बिहार ग्राम पंचायत (पंचायत सचिव का स्थानान्तरण–पदस्थापन) विनियमावली, 2025 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह इस अधिसूचना की निर्गत तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँः–

इस विनियमावली में, जबतक कोई बात, विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः–

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006;

(ii) "नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011;

(iii) "धारा" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा;

(iv) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य–सरकार;

(v) "ग्राम पंचायत" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–11 के अधीन गठित स्वशासी संस्था;

(vi) "सचिव" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–32 के अधीन किसी ग्राम पंचायत का राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सचिव,

(vii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग; तथा

(viii) इस विनियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होंगे जो अधिनियम/नियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित किए गए हों।

3. **स्थानांतरण / पदस्थापनः—**

(i) जिला स्तरीय संवर्ग के किसी पंचायत सचिव को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर दूसरे जिलास्तरीय संवर्ग में, उनके प्रवेश के आधार पर उनकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए, स्थानांतरण करने की शक्ति पंचायती राज विभाग में होगी।

(ii) पंचायत सचिवों का दूसरे जिला स्तरीय संवर्ग में स्थानांतरण जून माह में किया जायेगा।

(iii) पंचायत सचिवों का दूसरे जिलास्तरीय संवर्ग में स्थानांतरण पूरे सेवाकाल में तीन बार ही किया जा सकेगा।

(iv) स्थानान्तरण में महिला एवं दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी जायेगी।

(v) जिला स्तरीय संवर्ग के किसी पंचायत सचिव के अनुरोध पर स्थानांतरण में संबंधित दोनों जिलों के नियुक्ति प्राधिकार की अनुशंसा आवश्यक होगी तथा स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित पंचायत सचिव स्थानांतरित जिले में अपने नियुक्ति वर्ष में कनीयतम हो जायेंगे।

(vi) एक ही जिला से एक ही नियुक्ति वर्ष के एक से अधिक पंचायत सचिवों का किसी दूसरे जिला में स्थानांतरण होने पर वे स्थानान्तरित जिले में अपने नियुक्ति वर्ष में कनीयतम होंगे, परन्तु उनकी पारस्परिक वरीयता पूर्व के जिला संवर्ग के वरीयता क्रमानुसार निर्धारित होगी।

(vii) आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त एक ही नियुक्ति वर्ष के भिन्न–भिन्न जिलों के पंचायत सचिवों का, किसी दूसरे ज़िला में स्थानांतरण होने पर वे स्थानान्तरित जिले में अपने नियुक्ति वर्ष में कनीयतम होंगे, परन्तु नये जिला संवर्ग में उनकी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित वरीयता के अनुरूप होगी।

(viii) आयोग से भिन्न स्त्रोतों से नियुक्त एक ही नियुक्ति वर्ष के भिन्न–भिन्न जिलों के पंचायत सचिवों का किसी दूसरे जिला में स्थानांतरण होने पर वे स्थानान्तरित जिले में अपने नियुक्ति वर्ष में कनीयतम होंगे, परन्तु नये जिला संवर्ग में उनकी वरीयता उनके प्रथम योगदान की तिथि, प्रथम योगदान की तिथि समान रहने पर उनकी जन्म तिथि (अधिक उम्र वाले वरीय होंगे) के आधार पर, और जन्म तिथि एक रहने पर हिन्दी वर्णमाला में उनके नाम के प्रथम अक्षर के क्रम में निर्धारित होगी।

(ix) पंचायत सचिवों के दूसरे जिलास्तरीय संवर्ग में स्थानांतरण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–4प/स०–10–10/2025/8370/प०रा०, पटना दिनांक 04/7/2025

प्रतिलिपिः–सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–4प/स०–10–10/2025/8370/प०रा०, पटना दिनांक 04/7/2025

प्रतिलिपिः–आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अतएव निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव